राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1632/2014/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–III, प्रतिकरापवंचन, भिवाडी, अलवर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स आर.के.आयरन एण्ड स्टोन्स,
नेमी चन्द बाजार, अलवर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री वी.के.गर्ग,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 22/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 33/आरवीएटी/2013–14/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 24.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाडी (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) तहत् आरोपित शास्ति राशि रूपये 1,31,953/– अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाडी (जिसे आगे **"जॉच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 17.03.2013 को वाहन संख्या एचआर–55–सी–2571 को रोक कर चैक किया गया। जॉच अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये। प्रत्यर्थी व्यवहारी के अनुसार उक्त परिवहनित माल मैसर्स आर.के. आयरन एण्ड स्टोर्स, अलवर से मैसर्स महाराजा एग्रो फूड प्रा.लि., भिवाडी को परिवहनित किया जा रहा था। मैसर्स आर.के.आयरन एण्ड स्टोर्स, अलवर ने माल को अलवर लाने के बजाय सीधे मैसर्स महाराजा एग्रो फूड प्रा.लि., कहरानी को विक्रय कर दिया, परन्तु मैसर्स खण्डेलवाल ट्रेडिंग कम्पनी, सीकर का बिल प्रस्तुत नहीं किया। प्रथम दृष्टया दस्तावेज संदेहास्पद होने से जॉच अधिकारी द्वारा परिवहनित माल को निरूद्ध किया जाकर कूटरचित दस्तावेजों से माल का परिवहन किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 76(2)(b) का उल्लंघन मानकर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत अभियोग बनाकर पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। सशक्त अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन कर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस का लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जिससे असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी

लगातार.....2

द्वारा शास्ति राशि रूपये 1,31,953/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि करापवंचन की नियत से प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स खण्डेलवाल ट्रेडिंग कम्पनी सीकर का न तो क्रय बिल पेश किया है, न ही उक्त संव्यवहार का प्रत्यर्थी व्यवहारी की लेखा पुस्तकों में इन्द्राज किया गया है, साथ ही फर्म द्वारा माल का बेचान बिल्टी को कहरानी स्थित फर्म के पक्ष में पृष्ठांकित किये बगैर किया है। आगे उन्होंने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को में यह कहा कि परिवहनित माल मैसर्स राठी ग्राफिक्स टैक्नोलॉजी इण्ड. लि., चोपानकी से मैसर्स खण्डेलवाल आयरन स्टोर, सीकर के मार्फत क्रय किया गया, एवं माल का विक्रय सीधे मैसर्स महाराजा एग्रो फूड प्रा. लि., कहरानी को हो जाने के कारण परिवहन के खर्च से बचने के लिए माल को अलवर लाने के बजाय कहरानी भेज दिया, इस प्रकार के विक्रय पर बिल बाद में डाक से भिजवाया जाता है। यह सम्पूर्ण संव्यवहार अन्तर्राज्यीय होने के कारण इसमें बिल्टी पर पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक है। आगे अपने कथन में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल मैसर्स राठी ग्राफिक्स टैक्नोलॉजी इण्ड. लि., चोपानकी से मैसर्स खण्डेलवाल आयरन स्टोर, सीकर के मार्फत क्रय किया गया, एवं माल का विक्रय सीधे मैसर्स महाराजा एग्रो फूड प्रा.लि., कहरानी को हो जाने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल को अलवर लाने के बजाय कहरानी भेज दिया गया, परन्तु मैसर्स खण्डेलवाल ट्रेडिंग कम्पनी का बिल प्रस्तुत नहीं किया, जिसे सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2)(b) का उल्लंघन मानकर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण कर दिया। सर्वप्रथम प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(2)(b) उद्धरित किया जाना उचित होगा, जो कि निम्न प्रकार है:–

76(2)(b) Carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or dispach memos.

7. उक्त प्रावधान के अनुसार वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित बिल–बिल्टी, डिस्पैच मीमों एवं निर्धारित घोषणा पत्र परिवहन के समय साथ रखा जावे एवं मांगे जाने उन्हें सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, यह एक निर्विवाद तथ्य है

लगातार.....3

कि जब वाहन को चैक किया गया, उस समय वाहन चालक/माल प्रभारी ने दस्तावेज प्रस्तुत किए उनकी अग्रिम जॉच नहीं की गई। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जॉच अधिकारी द्वारा दिनांक 17.03.2013 को यह स्पष्ट कर दिये जाने पर कि मैसर्स खण्डेलवाल ट्रेडिंग कम्पनी, सीकर का बिल उन्हें डाक द्वारा प्राप्त होगा तब सशक्त अधिकारी द्वारा उसी दिन प्रकरण में शास्ति आरोपण की कार्यवाही कर दी गई जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस संबंध में वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीकर के माध्यम से सीकर के व्यवसाई द्वारा जारी बिल की जॉच करवाई जा सकती थी, अथवा उसके डाक से प्राप्त होने का इन्तजार किया जा सकता था। प्रत्यर्थी द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा सीकर से बिल प्राप्त होते ही सशक्त अधिकारी के पास जवाब सहित भेजा गया एवं उनके गुम होने के पश्चात् पुनः दिनांक 20.03.2013 को ई–मेल द्वारा बिल एवं जवाब भेजा गया किन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 18.03.2013 को ही केस का निस्तारण करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया। विचारणीय तथ्य है कि जब सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई हेतु सम्मन दिनांक 23.03.2013 के लिए जारी किया गया एवं दिनांक 18.03.2013 को स्वयं प्रत्यर्थी व्यवहारी ने उपस्थित होकर समस्त तथ्यों का लिखित में जवाब दिया तथा सीकर की फर्म का बिल डाक से मिलने के तथ्य से अवगत करा दिया था एवं करापवंचन नहीं करना प्रकट किया तब सशक्त अधिकारी को इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर भिवाडी स्थित फर्म मैसर्स आर.जी.टी. एल. इण्ड. लि. एवं मैसर्स महाराजा एग्रो फूड्स प्रा.लि., कहरानी के यहॉ उक्त संव्यवहारों की सत्यता की जॉच करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई एवं मात्र बिल्टी बेचान नहीं करने को आधार बनाकर शास्ति आरोपित कर दी गई जो किसी भी परिस्थिति में विधिसम्मत एवं उचित नहीं मानी जा सकती है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने से हस्तक्षेप योग्य नही है।

8. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 24.02.2014 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

24/8/17

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य